

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

16/05/22 पत्रावली पेश हुई। वकील आर्चीवंग उमन वकील आर्चीवंग
उम. होकर आर्चना पत्र अन्तर्गत आदेशा उ नियम 4CPC वाद-
वाद पुनः दर्ज करने बाबत पेशा उर निवेदन किया कि
उक्त वाद में पेशी दिनांक 03/04/2011 को अदम पेशी
एवं अदम राजरी में शौर्यप कर दिया गया। दिनांक
03/04/11 को वकील वादी श्री भाखरामाप गोदारा ने
बिना वादी को बताये ही न्यायलय में no instruction
कर दिया तथा वादी को इस बात का ज्ञान नहीं था,
इस कारण अदालत राजा में उप. नहीं हो सके एवं वादी
वकील ने वादी को पेशी जाने से मना कर दिया था इस
कारण वादी की अपील नहीं हो सके। वादी जानबुझकर
उक्त नहीं हुए बल्कि अपरोक्त कारण की वजह से उप-
नहीं हुआ था। वकील की गलती ही राजा पत्रावली को
नहीं दी जा सकती। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद-
पुनः दर्ज किया जावे।
न्यायलय में वकील वादीगण का आर्चना पत्र
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली अपरोक्त कार्यालय
घोषण में होने के कारण लम्बी जारी होकर पत्रावली
फैरुल सुमार होकर दफ्तार हो।
[Signature]